प्रेस विज्ञप्ति
1/08/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अगरतला उप-आंचलिक कार्यालय ने सरकारी अधिकारियों के प्रतिरूपण (Impersonation) कर तथा सरकारी संगठनों से भ्रामक समानता रखने वाली संस्थाओं के माध्यम से निवेशकों एवं व्यवसायियों के साथ की गई धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 31.07.2026 के अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से लगभग 1.12 करोड़ रुपये की बैंक शेषराशि को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई परिसंपत्तियों में उत्पल कुमार चौधरी, जो त्रिपुरा कैडर के निलंबित आईएएस अधिकारी हैं, अभिषेक चंद्र तथा एक निजी आवासीय कंपनी द्वारा नियंत्रित शेल संस्थाओं के नाम पर धारित बैंक शेष राशियाँ सम्मिलित हैं, जो उनसे संबंधित अपराध से अर्जित आय (Proceeds of Crime) की ओर इशारा करती हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत जाँच की शुरुआत पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में पुलिस द्वारा उत्पल कुमार चौधरी तथा उसके सहयोगियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत छल, जालसाजी, आपराधिक न्यासभंग एवं प्रतिरूपण (Impersonation) से संबंधित अपराधों के लिए दर्ज अनेक प्राथमीकियों (एफआईआर) के आधार पर की, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत अनुसूचित अपराध हैं।

जाँच से यह उजागर हुआ है कि उत्पल कुमार चौधरी ने स्वयं को भारत सरकार के गृह मंत्रालय का वरिष्ठ अधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया तथा इस आशय के कूटरचित पहचान-पत्र तैयार कराए। उसने सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से भ्रामक समानता रखने वाली संस्थाओं का गठन किया, जिनमें 'डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन, त्रिपुरा' तथा 'मेसर्स ब्रिज एंड रूफ कंपनी' सम्मिलित हैं, तथा 'चलताखाली स्वामीजी सेवा संघ' नामक एक पंजीकृत न्यास पर भी कपटपूर्वक नियंत्रण प्राप्त कर लिया। इन संस्थाओं का उपयोग करते हुए उसने कथित रूप से व्यवसायियों एवं निवेशकों को सरकारी निविदाएँ, मध्याह्न भोजन आपूर्ति अनुबंध तथा रबर व्यवसाय से लाभ दिलाने के झूठे आश्वासन देकर प्रलोभित किया तथा उन्हें इन संस्थाओं के बैंक खातों में करोड़ों रुपये की धनराशि प्रेषित करने के लिए प्रेरित किया।

इस प्रकार एकत्रित अपराध से अर्जित आय (Proceeds of Crime) को अभियुक्त तथा उसके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित शेल फर्मों के जाल के माध्यम से प्रवाहित किया गया तथा उसका एक बड़ा भाग नकद के रूप में आहरित कर वितरित कर दिया गया। अपराध से अर्जित आय का एक महत्त्वपूर्ण भाग आगे की संस्थाओं (डाउनस्ट्रीम एंटिटीज़) तक पहुँचाया गया, जिसका पता लगाया गया है, तथा उसे अभियुक्त एवं उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर धारित अचल संपत्तियों, वाहनों तथा अन्य परिसंपत्तियों में समाहित (Integrated) किया गया।

जाँच से आगे यह भी उजागर हुआ है कि अभिषेक चंद्र, आईएएस, जो त्रिपुरा कैडर के अधिकारी हैं और वर्तमान में निलंबित हैं, ने उत्पल कुमार चौधरी तथा उसके सहयोगियों द्वारा अर्जित अपराध से अर्जित आय (Proceeds of Crime) प्रत्यक्ष रूप से अपने व्यक्तिगत बैंक खातों में तथा अप्रत्यक्ष रूप से योजना से संबंधित संस्थाओं द्वारा एक निजी आवासीय कंपनी को उनके नाम पर एक फ्लैट की बुकिंग के लिए किए गए भुगतानों के माध्यम से प्राप्त की।

वर्तमान आदेश सहित, इस प्रकरण में दो अनंतिम कुर्की आदेशों के माध्यम से अब तक अनंतिम रूप से कुर्क की गई परिसंपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 1.63 करोड़ रुपये है।

आगे की जांच जारी है।